न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 394/17 **निर्णय दिनांकः– 21.01.2019**

1. नानकराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी गांव चकजोड़ तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. मदनसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत निवासी चक 1 आरएसएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 29–11–2016
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितः–
1. श्री जयचन्द लाल सारस्वत
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 29–11–2016 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि बतौर विशेष आवंटन रेस्पोडेन्ट को आवंटित कर दी गई, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि चक 1 एसएलडी के मुरब्बा नम्बर 129/10 के किला नम्बर 1 ता 25 में 24 बीघा भूमि एसीसी छत्तरगढ़ द्वारा अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति की सहमति से बतौर भूमिहीन दिनांक 22—09—1990 को आवंटित की गई थी तथा अपीलांट आवंटन के समय से ही वादगत् भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि की तमाम किश्तें भी जमा करवाई जा चुकी है। अदालत मातहत व राजस्व कर्मचारियों को तत्समय ही अपीलांट को आवंटित वादगत् भूमि का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जाना चाहिए था। राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज होने के कारण अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन को निरस्त किये बिना ही उक्त आराजी का आवंटन रेस्पोडेन्ट को बतौर विशेष आवंटन में दिनांक 29—11—2016 को कर दिया गया। ऐसा आवंटन आवंटन नियमों व कानून के विपरीत होने से काबिल खारिज है।

उन्होनें आगे बताया कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट के आवंटित किये जाने की तिथि को शुद्व रूप से आराजीराज भूमि नहीं थी वरन् अपीलांट की आक्यूपाईड लैण्ड थी ऐसी स्थिति में आक्यूपाईड लैण्ड का आवंटन रेस्पोडेन्ट को नहीं किया जा सकता था। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व ना तो मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर बिना किसी प्रकार की जॉच किये वादगत् भूमि का आंवटन विशेष श्रेणी में रेस्पोडेन्ट को कर दिया गया। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे मामलों में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे अन्यथा अपीलांट को उसी श्रेणी की अन्यत्र भूमि आवंटन किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित आने हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर दिनांक

14—12—2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा पत्रावली पर बहस करते हुए कथन किया गया कि वादगत् भूमि बतौर विशेष आवंटन हेतु आरक्षित भूमि है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन बतौर भूमिहीन श्रेणी में नहीं किया जा सकता था। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अंदाज करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट को बतौर भूमिहीन किया गया है। चूंकि वादगत् भूमि गजट में प्रकाशित थी एसी स्थिति में उक्त भूमि का आवंटन भूमिहीन के तौर पर नहीं किया जा सकता था।

अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि का आवंटन करते हुए तमाम राशि जमा करवाई जा चुकी है। जहॉ तक अपीलांट का कथन कि वादगत् भूमि उसे पूर्व में आवंटित थी ऐसी स्थिति में उक्त भूमि आक्यूपाईड लैण्ड की श्रेणी की है। इस संबंध में राजस्व अभिलेख में वादगत् भूमि शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज है तथा मौके पर खाली पड़ी है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटित किये जाने की तिथि को शुद्व रूप से आराजीराज व आक्यूपाईडलैण्ड नहीं थी। इसप्रकार रेस्पोडेन्ट का आवंटन पूर्णतया सही व आवंटन नियमों की पालना करते हुए अदालत मातहत द्वारा किया गया है। चूंकि वादगत् भूमि गजट में प्रकाशित है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अपीलांट को बतौर भूमिहीन श्रेणी में प्राप्त नहीं हो सकती। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा सर्वप्रथम अपीलांट को वादगत् भूमि चक 1 एसएलडी के मुरब्बा नम्बर 129/10 के किला नम्बर 1 ता 25 में 24 बीघा भूमि एसीसी छत्तरगढ़ द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की सहमति से बतौर भूमिहीन दिनांक 22—09—1990 को आवंटित की गई थी। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा इसी भूमि

का आवंटन रेस्पोडेन्ट को गजट में प्रकाशित होने के कारण विशेष आवंटन के तहत दिनांक 29—11—2016 को किया गया है।

(2) प्रकरण में अपीलांट द्वारा आवंटन किये जाने के उपरान्त वादगत् भूमि हेतु निर्धारित राशि जमा करवाई जाने के उपरान्त आवंटन पट्टा अदालत मातहत द्वारा जारी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन की तमाम प्रकिया पूर्ण कर दी गई थी। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में तत्समय ही किया जाना चाहिए था। जैसा की प्रकरण में नहीं किया गया है। उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं होने के कारण भूमि रिकार्ड में आराजीराज दर्ज रहने के कारण वादगत् भूमि गजट में प्रकाशित होने के फलस्वरूप अदालत मातहत द्वारा उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा भी वादगत् भूमि की तमाम राशि खजाराराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में दोनों की पक्षकारों द्वारा अपने—अपने आवंटन की तमाम कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

(4) प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि विशेष आवंटन हेतु आरक्षित भूमि थी। ऐसी स्थिति में चूंकि वादगत् आराजी गजट में प्रकाशित होने के कारण रेस्पोडेन्ट को आवंटित हो चुकी है व पूर्व में उक्त भूमि बतौर भूमिहीन अपीलांट को आवंटित की जा चुकी है। प्रकरण में अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन के समय ही राजस्व रिकार्ड में इस आश्य का इन्द्राज किया जाना चाहिए था। प्रकरण में अदालत मातहत एवं राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं दिया जा सकता।

(5) इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा एक ही आराजी का दो बार आवंटन कर दिया गया है व वर्तमान में वादगत् भूमि गजट में प्रकाशित होने के कारण उक्त आराजी अब अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन खारिज नहीं किया गया है व अपीलांट की पात्रता भूमिहीन श्रेणी की आज दिनांक को भी कायम है। अतः अपीलांट उसी श्रेणी की अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

8. अतः बिन्दु सिंह 6 के मद संख्या 1 से 5 में वणिर्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार कीजाती है व रेस्पोडेन्ट का आवंटन दिनांक 29—11—2016 बहाल रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जॉच करते हुए भूमिहीन श्रेणी की भूमि अन्यत्र आवंटन की कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 21.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर